कार्यालय प्राचार्य शासकीय कन्या महाविद्यालय कटनी जिला-कटनी (म.प्र.)

क्रमांक/ 268 / ई-निविदा/2026 कटनी दिनांक 14 / 05 /2026

ई-निविदा आमंत्रण सूचना

कार्यालय प्राचार्य शासकीय कन्या महाविद्यालय कटनी जिला-कटनी हेतु श्रमायुक्त / कलेक्टर कटनी दर पर अकुशल - सुरक्षा कर्मी के पदों की पूर्ति करने के लिए श्रमायुक्त / कलेक्टर द्वारा कर्मियों के लिए नियत पारिश्रमिक पर आउटसोर्स एजेंसी को प्रबंधकीय शुल्क / सर्विस चार्ज शुल्क राशि प्रतिशत मे न्यूनतम दर प्राप्त करने हेतु ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक निविदाकर्ता ,फर्म, संस्था, कम्पनी आदि जो कार्यालय प्राचार्य शासकीय कन्या महाविद्यालय कटनी की आवश्यकता अनुसार सुरक्षा कर्मियों की आउटसोर्स से पूर्ति कर सकते हों, वे निविदा के ई-नियमों एवं शर्तों के अधीन ई-निविदा ऑनलाइन https://mptenders.gov.in पोर्टल पर प्रस्तुत कर सकते हैं। ई-निविदा https://mptenders.gov.in पोर्टल के माध्यम से ही प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।

निविदा प्रस्ताव, निविदा नियम एवं शर्तें:-

1. कार्यालय प्राचार्य शासकीय कन्या महाविद्यालय कटनी जिला-कटनी हेतु श्रमायुक्त / कलेक्टर कटनी दर पर आउटसोर्स से अकुशल - सुरक्षा कर्मियों की पूर्ति हेतु पदों की संभावित आवश्यक्ता तथा एक वर्ष में कुल भुगतान होने वाली अनुमानित राशि का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	पदों का विवरण	कर्मियों की संभावित आवश्यकता	एक वर्ष मे सुरक्षा कर्मियों को भुगतान होने वाली पारिश्रमिक अनुमानित कुल राशि रूपए (सर्विस चार्ज व जी.एस.टी.छोंड़कर)
1	अकुशल - सुरक्षा कर्मी	04	596400.00
		योग	596400.00

टीप:- श्रमायुक्त/कलेक्टर द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक समय-समय पर परिवर्तित देय होगी। कर्मचारियों की संख्या में कमी एवं वृद्धि की जा सकती है।

2. कार्य पर रखे जाने वाले संबंधित कर्मियों को श्रमायुक्त / कलेक्टर द्वारा अद्यतन निर्धारित पारिश्रमिक जो कि परिवर्तनशील है, जिसमें उच्च कुशल /कुशल/अकुशल कर्मी परिभाषित हैं की राशि नियमानुसार दी जा सकेगी, इससे कम अथवा अधिक नहीं।

3. निविदा प्रस्तुत करने का विवरण:-

क्र.	विवरण	तिथि व समय
1	ई-निविदा जारी करने की दिनांक एवं समय	15 मई 2026 प्रातः 11:00
2	ई-निविदा प्रपत्र डाउनलोड एवं क्रय करने की आरंभ दिनांक एवं समय	15 मई 2026 प्रातः 11:00
3	प्री-बिड मीटिंग दिनांक , स्थान व समय	22 मई 2026, कार्यालय प्राचार्य शासकीय कन्या महाविद्यालय कटनी,दोपहर 02:00 से
4	ई- निविदा ऑन लाइन प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक व समय	30 मई 2026 सायं 5:00 बजे तक
5	ई- निविदा की तकनीकी निविदा खोले जाने की दिनांक व समय	01 जून 2026 सायं 5:30 बजे
6	ई- निविदा की वित्तीय निविदा खोले जाने की दिनांक व समय	03 जून 2026 अपरान्ह 2:00 बजे

नोट- उपरोक्त तिथि अनुमानित है कार्य-सुविधा अनुसार तिथि मे परिवर्तन किया जा सकता है।

4. निविदा विवरण, निविदा प्रपत्र मूल्य, प्रतिभूति राशि शुल्क विवरण निम्नानुसार हैः-

क्र.	कार्य का विवरण	ई-निविदा प्रपत्र का मूल्य	ई-निविदा प्रतिभूति राशि
1	अकुशल - सुरक्षा कर्मी ।	रूपए 1000/- (रूपए एक हजार मात्र)	रूपए 17800.00 (रूपए सत्रह हजार आठ सौ)

निविदा प्रपत्र https://mptenders.gov.in **पोर्टल के माध्यम से डाउनलोड किया जा सकता है। निविदा प्रपत्र की उपरोक्त राशि एवं निविदा प्रतिभूति की उपरोक्त राशि ऑनलाइन** https://mptenders.gov.in **पोर्टल के माध्यम से कार्यालय प्राचार्य शासकीय कन्या महाविद्यालय कटनी के पक्ष में जमा करना अनिवार्य है। प्रपत्र की उपरोक्त राशि एवं निविदा प्रतिभूति की उपरोक्त राशि ऑनलाइन** https://mptenders.gov.in **पोर्टल के माध्यम से जमा राशि संबंधी चालान या रसीद तकनीकी बिड के साथ पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। निविदा प्रपत्र की राशि एवं निविदा प्रतिभूति राशि जमा नहीं होने पर निविदाकर्ता की निविदा निरस्त कर दी जावेगी। निविदा प्रतिभूति पर ब्याज देय नहीं होगा**

5. निविदा दस्तावेजों में निविदाओं के मूल्यांकन हेतु मापदण्डों एवं अभिलेखों के आधार पर निविदाओं को मूल्यांकित किया जाकर तकनीकी निविदा मूल्यांकन मे अर्हता प्राप्त निविदाकर्ता के वित्तीय निविदा प्रस्ताव खोली जोवगी।

6. निष्पादन प्रतिभूति- निविदा स्वीकृत होने पर सफल निविदाकर्ता को निविदा स्वीकृत सूचना दिये जाने के अधिकतम 10 दिवस के भीतर संविदा के उचित निष्पादन के लिए सफल निविदाकार को निष्पादन सुरक्षा राशि (परफारमेन्स सिक्यूरिटी) राशि रूपए 17800/- (रूपये सत्रह

हजार आठ सौ) का बैंक डिमांड ड्राप्ट राष्ट्रीयकृत बैंक का प्राचार्य शासकीय कन्या महाविद्यालय कटनी जिला-कटनी के नाम से प्रस्तुत करना होगा , जो निष्पादन प्रतिभूति, वारंटी बाध्याताओं सहित आपूर्तिकर्ता की सभी संविदाकृत बाध्यताओं के पूरा होने की तारीख के बाद साठ दिन की अवधि तक के लिए वैध होना आवश्यक होगा । निष्पादन प्रतिभूति पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

7. **सफल निविदाकार द्वारा निर्धारित अवधि में निष्पादन प्रतिभूति जमा न करने पर सफल निविदाकर्ता की निविदा निरस्त की जावेगी तथा निविदा प्रतिभूति जब्त कर ली जावेगी। निर्धारित अवधि में अनुबंध नहीं करने की दशा में निविदा निरस्त कर धरोहर राशि एवं निष्पादन प्रतिभूति जब्त कर ली जावेगी। समयावधि में निष्पादन प्रतिभूति जमा न करने व अनुबंध न करने की स्थिति में सफल निविदाकर्ता की निविदा निरस्त कर द्वतीय न्यूनतम दर वाले निविदाकार को प्रथम घोषित न्यूनतम दरों पर सेवाएं देने का अवसर प्रदान किये जाने पर मध्य प्रदेश भण्डार क्रय नियम तथा सेवा उपार्जन नियम, 2015 (यथा संशोधित-2022) के प्रावधान अनुसार विचार किया जा सकेगा।**

8. **निविदा टू बिड प्रणाली पर आधारित होगी ।**

   अ- तकनीकी ब्योरे वाली- तकनीकी बिड। ब- वित्तीय बिड - कीमत (दर)

9. **निविदाकार को निविदा प्रपत्र के साथ तकनीकी बिड परिशिष्ट-एक पर वांछित समस्त अभिलेखों की सुस्पष्ट एवं पठनीय और प्रमाणित प्रतियां क्रमबद्ध निविदा पोर्टल पर अपलोड करना आवश्यक है।**

10. **निविदाकर्ता को निविदा पोर्टल पर प्रस्तुत वित्तीय दर पत्रक परिशिष्ट- दो (बी.ओ.क्यू.) पर सर्विस चार्ज दर राशि प्रतिशत मे अंको एवं शब्दों में** https://mptenders.gov.in **पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करना अनिवार्य है।**

11. **सुरक्षा कर्मियों के लिए मध्य प्रदेश भण्डार क्रय नियम तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 (यथा संशोधित- 2022) की कण्डिका 43.3 के प्रावधान अनुसार किसी निविदाकर्ता द्वारा कोई सेवा शुल्क नहीं दर्शाया गया है अथवा शून्य सेवा शुल्क दर्शाया गया तो उस निविदाकर्ता की निविदा को अमान्य किया जाकर उस पर विचार नहीं किया जायेगा।**

12. **आउटसोर्स एजेंसी का प्रबंधकीय शुल्क / सर्विस चार्ज शुल्क प्रतिशत मे 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे को अगले उच्चतर रूपए मे पूर्णांकित किया जायेगा और 50 पैसे से कम को छोंड़ दिया जायेगा।**

13. **श्रमायुक्त द्वारा कर्मियों के लिए नियत पारिश्रमिक पर आउटसोर्स एजेंसी को प्रबंधकीय शुल्क / सर्विस चार्ज शुल्क देय होगा। (प्रबंधकीय शुल्क / सर्विस चार्ज शुल्क,** EPF **एवं** ESI **इत्यादि को छोंड़कर आधारित होगा)**

14. **वित्तीय प्रस्ताव में वित्तीय प्रस्ताव परिशिष्ट-2 (बी ओ क्यू) मे प्राप्त न्यूनतम दर वाले निविदाकर्ता का चयन किया जाएगा। वित्तीय निविदा में निविदा राशि के शब्दों एवं अंकों में भिन्नता होने पर शब्दों की राशि मान्य की जावेगी। प्रबंधकीय शुल्क / सर्विस चार्ज शुल्क प्रतिशत मे प्रति कर्मी,प्रति मांह होगी।**

15. यदि एक से अधिक निविदाकारों की वित्तीय निविदा दरें न्यूनतम एवं एक समान पाई जाती है, तो उस स्थिति में न्यूनतम समान दर वाले निविदाकारों के मध्य लाटरी के माध्यम से निविदाकर्ता का चयन किया जायेगा। निविदाकारों के नाम की पर्ची निकाली जावेगी जिस निविदाकार का नाम पहले आवेगा, उस निविदाकार को एल-1 माना जावेगा, जो सभी निविदाकारों को मान्य होगी। निविदाकर्ता या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं। ऐसी स्थिति में कार्यालय का निर्णय अंतिम व बंधनकारी होगा।

16. निविदाकर्ता / फर्म / संस्था का स्थापना संबंधी कानूनी रूप से पंजीकृत होना अनिवार्य है। वैध पंजीयन की प्रति तकनीकी बिड के साथ पोर्टल पर अपलोड करना आवश्यक होगा।

17. निविदाकर्ता / फर्म / संस्था का श्रम आयुक्त म.प्र. द्वारा जारी वैध एवं जीवित लेबर लाईसेंस, जिसमें सेवाओं को देने के लिए अधिकृत किया गया हो का होना आवश्यक है। वैध पंजीयन की प्रति तकनीकी बिड के साथ पोर्टल पर अपलोड करना आवश्यक होगा।

18. निविदाकर्ता का विगत तीन वित्तीय वर्षों का औसत टर्नओवर कम से कम रूपए 10.00 लाख होना चाहिए। टर्नओवर का प्रमाण-पत्र चार्टड एकाउटेंट द्वारा हस्ताक्षरित तकनीकी बिड के साथ निविदा पोर्टल पर अपलोड करना आवश्यक है।

19. निविदाकर्ता का स्थायी आयकर PAN / TAN होना आवश्यक है। PAN / TAN की प्रति तकनीकी बिड के साथ निविदा पोर्टल पर अपलोड करना आवश्यक है।

20. निविदाकर्ता का जी.एस.टी. का सक्षम प्राधिकारी के द्वारा जारी जीवित पंजीयन आवश्यक है, जो तकनीकी बिड के साथ निविदा पोर्टल पर अपलोड करना आवश्यक है।

21. निविदाकर्ता का आधार नम्बर होना आवश्यक है। आधार की प्रति तकनीकी बिड के साथ निविदा पोर्टल पर अपलोड करना आवश्यक है।

24. निविदाकर्ता का कर्मचारी भविष्य निधि (ई.पी.एफ.) का वैध एवं जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र तथा विगत छः माह के ई.पी.एफ. जमा की Payment Confirmation Receipt / चालान प्रतियॉ तकनीकी बिड के साथ निविदा पोर्टल पर अपलोड करना आवश्यक है।

25. कर्मचारी बीमा निगम (ई.एस.आई.सी.) का वैध एवं जीवित पंजीयन। तथा विगत छःमाह के ई.एस.आई.सी. जमा की Payment Confirmation Receipt / चालान प्रतियॉ तकनीकी बिड के साथ निविदा पोर्टल पर अपलोड करना आवश्यक है।

26. निविदाकर्ता या उसके द्वारा संचालित फर्म/संस्था/कंपनी को केन्द्र सरकार / किसी राज्य सरकार / किसी अन्य संस्था द्वारा ब्लैक लिस्टिंग नहीं होना चाहिए या अयोग्य घोषित नहीं किया गया हो। उपरोक्त से संबंधित घोषणा पत्र परिशिष्ट- तीन पर रूपए 100/- के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा प्रमाणित मूल प्रति तकनीकी बिड के साथ निविदा पोर्टल पर अपलोड करना आवश्यक है।

27. निविदाकर्ता को शासकीय / अर्द्ध शासकीय संस्थान / स्थानीय निकाय कार्यालय में निविदा मे उल्लेखित पद कार्मियों की पूर्ति करने से संबंधित कार्य के संपादन / सेवा प्रदाय का कम से कम 01 वित्तीय वर्ष 2025-26 का अनुभव होना आवश्यक है। उन कार्यालय/ संस्थाओं के नाम सहित इत्यादि जानकारी परिशिष्ट-चार पर तकनीकी बिड के साथ निविदा पोर्टल पर अपलोड

करना आवश्यक होगा तथा उन संस्थाओं मे किये गये कार्यादेश/अनुबंध की प्रति तकनीकी बिड के साथ निविदा पोर्टल पर अपलोड करना आवश्यक है।

28. **निविदाकर्ता** ISO 9001-2015 Quality Standard of Work Certificate **(आई.एस.ओ. सर्टिफिकेट) होना आवश्यक है, जिसकी प्रति तकनीकी बिड के साथ निविदा पोर्टल पर अपलोड करना आवश्यक है।**

29. **निविदाकर्ता द्वारा निविदा के समस्त नियमों/शर्तों पर सहमति हेतु निविदाकर्ता द्वारा निविदा के समस्त नियमों / शर्तों पर हस्ताक्षर कर तकनीकी बिड के साथ निविदा पोर्टल पर अपलोड करना आवश्यक है।**

30. **निविदा के साथ निविदादाता/फर्म/संस्था को निविदा नियमों, शर्तों अनुसार अभिलेख ऑनलाईन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। निविदा नियमों, शर्तों अनुसार अभिलेख निविदा पोर्टल पर अपलोड नहीं होने पर निविदा अमान्य की जावेगी।**

31. **प्राप्त निविदाओं का मूल्यांकन, निविदा दस्तावेजों में पूर्व से उल्लेखित शर्तों एवं निबंधनों के अनुसार किया जावेगा, निविदाओं का मूल्यांकन करने के लिए ऐसी किसी नई शर्त को सम्मिलित नहीं किया जाएगा, जिसका पहले उल्लेख नहीं किया गया हो।**

32. **निर्धारित निविदा फार्म में किसी भी प्रकार किए गए परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। अपूर्ण निविदा एवं सशर्त निविदा मान्य नहीं की जायेगी तथा चयनित निविदाकर्ता किसी भी स्थिति में निविदा किसी दूसरे निविदादाता/ब्यक्ति/संस्था को हस्तांतरित नहीं कर सकेगा।**

33. **प्राचार्य शासकीय कन्या महाविद्यालय कटनी या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी के साथ सफल निविदादाता/सेवा प्रदाता को निविदा स्वीकृत सूचना के 15 दिवस के अन्दर शासन के नियमानुसार निविदा नियमों एवं शर्तो पर अनुबंध करना अनिवार्य होगा। निर्धारित तिथि तक अनुबंध नही कर पाने की दशा में धरोहर राशि शासन के पक्ष में राजसात कर ली जावेगी । अनुबंध का संपूर्ण व्यय निविदाकर्ता को व्यय करना होगा ।**

34. **स्वीकृति दर किये गये अनुबंध दिनांक से एक वर्ष के लिए मान्य होगी। तथापि कार्य संतोषजनक पाये जाने पर यदि सक्षम अधिकारी द्वारा उचित समझते हैं तो उभयपक्षीय सहमति के आधार पर एक-एक वर्ष, करते हुए अधिकतम दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा। इसके साथ ही नई निविदा स्वीकृत होने तक निविदाकर्ता को पूर्व शर्तों पर कार्य करना होगा। निविदाकार की सेवायें संतोषजनक न होने पर एवं निविदा शर्तों अनुसार न होने पर 15 दिवस की सूचना दी जाकर अनुबंध समाप्त कर दिया जावेगा। प्राचार्य शासकीय कन्या महाविद्यालय कटनी को अधिकार होगा कि वह बिना कोई कारण दर्शाये भी एक माह का लिखित नोटिस देकर अनुबंध समाप्त कर सकेगा।**

35. **निविदा मे प्रस्तुत दस्तावेजों एवं प्रमाण-पत्र पर सत्यापन संबंधी प्रमाणीकरण स्परूप हस्ताक्षर स्वयं निविदाकार के ही होना आवश्यक है।**

36. **निविदाकार द्वारा प्रमाणीकरण हेतु प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों का सत्यापन करवाया जा सकेगा। परीक्षण पश्चात दस्तावेजों में कोई असत्य जानकारी पाई जाती है तो धरोहर प्रतिभूति राशि अथवा अन्य देय राशि जप्त की जाकर उसके विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जावेगी।**

37. निविदाएं उपस्थित निविदाकार अथवा अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष कार्यालय प्राचार्य शासकीय कन्या महाविद्यालय कटनी में निर्धारित तिथि एवं स्थान पर समिति के समक्ष ऑनलाइन https://mptenders.gov.in पोर्टल के माध्यम से खोली जावेगी। निविदाकार द्वारा प्रतिनिधि को पत्र से अधिकृत किया जावेगा। निविदाकर्ता /प्राधिकृत प्रतिनिधि के उपस्थित नहीं होने पर भी समिति द्वारा निविदा खोली जायेगी।

38. निविदा शुल्क एवं प्रतिभूति राशि नियमानुसार जमा पाये जाने पर ही अर्हताएँ एवं तकनीकी निविदा खोली जावेगी। निविदा शर्तों में अंकित मापदंडों व दस्तावेजों अनुसार तकनीकी रूप से अर्ह पाये जाने पर ही अर्ह निविदाकारों हेतु वित्तीय दर खोली जावेगी।

39. निविदाएँ प्राप्त होने की निश्चित समय-सीमा समाप्त होने के बाद निविदाकर्ताओं को अपनी निविदाओं में परिवर्तन करने या संशोधन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

40. नियुक्त कर्मियों के नियुक्ति / कार्यादेश संबंधी पत्र के साथ कर्मियों का बायोडाटा, मूल निवासी प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता संबंधी दस्तावेज, कर्मियों का पुलिस वेरिफिकेशन, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के दस्तावेज भी सफल निविदाकार द्वारा प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। कर्मी की आयु न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 60 वर्ष के मध्य एवं स्वस्थ होना आवश्यक है।

41. नियुक्त कर्मी म.प्र. का मूल निवासी होना आवश्यक है।

42. जिन कर्मियों की सेवायें दी जावेगी निविदाकार के द्वारा ही नियुक्त मान्य किये जावेंगे एवं कर्मियों को निर्धारित तिथि पर नियमानुसार पारिश्रमिक भुगतान की जिम्मेदारी निविदाकर्ता की होगी। निर्धारित तिथि पर कर्मियों को पारिश्रमिक भुगतान प्राप्त न होने पर कार्यालय प्राचार्य शासकीय कन्या महाविद्यालय कटनी जिला कटनी जिम्मेदार नहीं होगा।

43. संबंधित कर्मियों के पारिश्रमिक भुगतान में से नियमानुसार कर्मचारी भविष्य निधि एवं कर्मचारी बीमा योजना की राशि निविदाकार द्वारा काटी जाकर संबंधित कर्मियों के ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई.सी. खाते में ई-पेमेंट के माध्यम से जमा कर नामवार सूची के साथ रसीद की प्रति सहित कार्यालय प्राचार्य शासकीय कन्या महाविद्यालय कटनी जिला कटनी में जमा करना अनिवार्य होगा।

44. श्रमायुक्त द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक दर अनुसार कार्यालय द्वारा नियमानुसार पारिश्रमिक, निर्धारित प्रतिशत की सीमा में ई.पी.एफ., ई.एस.आई.सी. का भुगतान निविदाकार को दिया जावेगा। देयक पर जी.एस.टी. जो नियमानुसार होगा की राशि कार्यालय द्वारा भुगतान की जायेगी। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी कर, प्रभार अथवा अन्य कोई भी चार्जेस अथवा व्यय कार्यालय द्वारा भुगतान नहीं किया जावेगा। देयक के साथ निविदा शर्तों में उल्लेखित भुगतान के अभिलेख प्रस्तुत करने पर ही देयक का भुगतान किया जावेगा।

45. निष्पादन प्रतिभूति अथवा देयकों से अनियमित भुगतान की गयी राशि अथवा पेनल्टी की राशि वसूल की जावेगी।

46. कार्य पर रखे जाने के उपरांत कार्य असंतोषजनक अथवा आचरण एवं व्यवहार संतोषजनक न पाये जाने पर संबंधित कर्मी को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त कर दिया जा सकने के लिए कार्यालय स्वतंत्र रहेगा, साथ ही निविदा शर्तों के अनुसार न होने पर कर्मी की सेवाएँ समाप्त की

जा सकेगी एवं तत्काल दूसरा कर्मी उपलब्ध करवाना होगा, जिसके लिए कोई वैकल्पिक अथवा अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा।

47. किसी भी कर्मी के किसी भी कारण से अनुपस्थित होने पर तत्काल दूसरी व्यवस्था सफल निविदाकार को की जानी होगी।

48. कर्मियों के गैरकानूनी कार्यों में लिप्त पाये जाने अथवा कार्य के समय नशे में होने, अभद्रता अथवा अन्य अनपेक्षित कार्य करने की स्थिति में उसे तत्काल पृथक कर, कार्यालय की संतुष्टि अनुसार अन्य कर्मी को उपलब्ध कराने का दायित्व भी निविदाकर्ता का होगा।

49. सेवा प्रदाय करने से संबंधित समस्त वैधानिक कानूनों के पूर्णत: पालन करने का उत्तरदायित्व निविदाकर्ता का रहेगा जैसे कान्ट्रेक्ट लेबर (रेग्यूलेशन एण्ड एबालिशन) एक्ट 1970, न्यूनतम मजदूरी एक्ट 1948, पेमेन्ट ऑफ वेजस एक्ट 1936, पेमेन्ट ऑफ बोनस एक्ट, इंडस्ट्रीयल डिस्प्यूट एक्ट 1947, एम्प्लाईज प्रोविडेंट फण्ड एण्ड सिलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952, एम्प्लाईज स्टेट इंश्यूरेंस एक्ट 1948, वुमंस कम्पनशेसन एक्ट 1923 एवं विधि द्वारा लागू की गई अन्य नियम/कानून/धाराएँ निविदाकर्ता को मान्य होगी एवं इनके पालन का उत्तरदायित्व पूर्ण रूप से निविदाकर्ता का ही होगा।

50. संबंधित कर्मियों को समय पर नियमानुसार समुचित भुगतान करने संबंधी समस्त जवाबदारी निविदाकर्ता की होगी। निविदाकर्ता को समस्त कर्मियों का प्रत्येक माह का परिश्रमिक का भुगतान प्रत्येक आगामी माह के 3 तारीख तक करना अनिवार्य होगा। कैश भुगतान कदापि मान्य नहीं किया जावेगा। किसी भी कारण से कर्मियों के पारिश्रमिक भुगतान में विलम्ब नहीं किया जावेगा। कर्मियों को निविदाकार द्वारा विलंब से भुगतान करने पर कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

51. निविदाकार को गत माह की भुगतान की गयी राशि का बैंक स्टेटमेंट जिसमें कर्मचारियों का बैंक खाता क्रमांक व भुगतान की गयी राशि का मदवार विवरण यथा पारिश्रमिक/ई.पी.एफ/ ई.एस.आई.सी. में जमा राशि अगले माह की अधिकतम 07 तारीख तक (कर्मियों के भुगतान के पश्चात्) अनिवार्य रूप से कार्यालय में जमा करना होगा, तभी देयक का भुगतान किया जावेगा।

52. ई.पी.एफ., ई.एस.आई.सी., जी.एस.टी. की जमा राशि की पुष्टि हेतु संबंधित विभाग को पावती की सत्यापित प्रति उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। पावती के पीछे कर्मियों की सूची, खाता क्रमांक सहित प्रमाण-पत्र अंकित किया जाना आवश्यक होगा।

53. निविदाकार को कर्मियों की उपस्थिति के कार्य स्थल प्रभारी अधिकारी से कार्य दिवस की पुष्टि/उपस्थिति प्रमाण-पत्र व कार्य संतोषजनक होने का कार्यालय के अधिकृत अधिकारी के अनुबंध के सफल निष्पादन के प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर ही भुगतान किया जावेगा। कर्मियों की उपस्थिति बायोमेट्रीक्स अटेंडडेन्ट सिस्टम से भी ली जा सकेगी।

54. पारिश्रमिक, ई.पी.एफ. व ई.एस.आई.सी. नियमानुसार के अतिरिक्त कर्मियों पर होने वाले किसी भी प्रकार के व्यय, प्रभार का दायित्व कार्यालय का कदापि नहीं होगा।

55. सेवाओं के संबंध में जी.एस.टी. के अतिरिक्त केन्द्र/राज्य शासन निकाय/स्वशासी संस्थान या अन्य द्वारा आरोपित किसी भी प्रकार के कर या उपकर का दायित्व फर्म/एजेन्सी द्वारा वहन किया जावेगा। कार्यालय इसके लिए किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।

56. समस्त कर्मी निविदाकार के नियंत्रण में होंगे एवं कार्यालय द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार ही कार्य करेंगे। इनके कार्यों के दायित्व, ड्यूटी स्थल निर्धारण आदेश पृथक से जारी किये जा सकेंगे।

57. निविदा मे किसी भी संशोधन, जानकारी की सूचना कार्यालय बेवसाईट पर ही दी जावेगी। पृथक से विज्ञापन नहीं किया जावेगा।

58. निविदाकार द्वारा निविदा को भरे जाने का अर्थ है कि निविदाकार द्वारा निविदा शर्तों को सम्पूर्ण रूप से पढ़ा जाकर मान्य किया गया है।

59. वांछित सभी कर्मी पद व संख्या अनुसार उपलब्ध कराये जाने आवश्यक हैं।

60. संबंधित पदों पर कार्य करने वाले कर्मियों को कलेक्टर द्वारा निर्धारित अकुशल पारिश्रमिक दर अनुसार ही न्यूनतम पारिश्रमिक देय होगा। इससे अधिक पारिश्रमिक की मांग करने अथवा अनावश्यक रूप से कार्यालय कार्यों में बाधा डालने अथवा यथा प्रयास करने संबंधी कोई बात/तथ्य प्रकाश में आता है अथवा किसी भी माध्यम से कार्यालय के ध्यान में लाया जाता है तो ऐसे संबंधित कर्मियों को सेवा से मुक्त किये जाने हेतु निविदाकार को लिखा जा सकेगा, जिसके लिए निविदाकार बन्धनकारी रहेगा।

61. सुरक्षा कर्मी वांछित योग्यता का नहीं होने अथवा रखे जाने पर संबंधित अभ्यर्थी को कार्य पर नहीं लिया जावेगा अथवा कार्य से तुरंत हटा दिया जावेगा। तत्काल दूसरे सक्षम कर्मी प्रदाय किया जाना होगा। अन्यथा पेनल्टी देय होगी।

62. निविदाकर्ता द्वारा कार्यालय हेतु प्रदाय किये गये सुरक्षा कर्मियों की वांछित शैक्षणिक योग्यता मध्य प्रदेश शासन के निधारित मापदण्डों अनुसार होना अनिवार्य है।

63. श्रमायुक्त / जिला कलेक्टर कटनी द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों के आधार पर जो परिवर्तनशील हैं न्यूनतम वेतन का निर्धारण होगा।

64. किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जावेगा।

65. निविदाकर्ता द्वारा कर्मियों को समस्त पारिश्रमिक, ईपीएफ, एवं ई.एस.आई.सी. का भुगतान करने के अभिलेख प्रस्तुत करने के उपरांत ही देयक का भुगतान होगा।

66. शासन के नियमानुसार सभी करों के कटौत्रे पश्चात ही भुगतान किया जा सकेगा।

67. निविदाकर्ता को प्रत्येक दिवस सुरक्षा कर्मी तैनात करना होगा। अवकास के दिवस मे भी सुरक्षा कर्मी की व्यवस्था करनी होगी। इसका अलग से कोई वेतन आदि का भुगतान नही किया जावेगा। सुरक्षा व्यवस्था 24 घंटे की रहेगी जिसमे 04 सुरक्षा कर्मी तैनात रहेंगे।

68. निविदाकार के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की छायाप्रतियां अस्पष्ट होने पर अथवा अपठनीय रहता है तो संबंधित निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।

69. महाविद्यालय की सम्पत्ति की सुरक्षा की सम्पूर्ण जगागदेही सुरक्षा कर्मियों / निविदाकार की होगी। चोरी अथवा सामग्री गुम होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। एजेंसी द्वारा कार्यरत सुरक्षा कर्मियों को प्रतिदिन यूनीफार्म मे कर्तव्य पर उपस्थिति रहना अनिवार्य होगा। नवीन फोटोग्राफ सहित परिचय पत्र देना अनिवार्य होगा तथा उसकी व्यक्तिगत जानकारी एवं पुलिस चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र महाविद्यालय मे प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

70. निविदाकार एवं कार्यालय के मध्य विवाद का निपटान-

1. इस निविदा/अनुबंध के पक्षकारों के मध्य किसी प्रकार के विवाद की स्थिति निर्मित होती है तो उस स्थिति में प्राचार्य शासकीय कन्या महाविद्‌यालय कटनी जिला कटनी का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
2. यदि निविदाकार द्‌वारा किसी कर्मी के स्थान पर अन्य वैकल्पिक व्यवस्था कराने में विलम्ब होता है तो प्रतिदिन प्रतिकर्मी के हिसाब से बतौर दण्ड राशि रू. 500/- रूपये प्रतिदिन वसूल (पेनल्टी) की जावेगी अथवा निविदा का निष्पादन संतोषजनक न होने पर भी रूपये 1000/- रूपये प्रतिदिन का दण्ड (पेनल्टी) अधिरोपित किया जायेगा।
3. नियमों एवं शर्तों के उल्लंघन के फलस्वरूप वसूल की गई राशि एजेन्सी को वापस नहीं की जावेगी।
4. निविदा की शर्तों में कार्यालयीन हित में प्राचार्य शासकीय कन्या महाविद्‌यालय कटनी जिला कटनी के अनुमोदन से संशोधन प्रशासन द्‌वारा किया जा सकेगा।
5. विवाद की स्थिति में वाद का न्यायालय क्षेत्र कटनी रहेगा। परिणामी संविदा की व्याख्या, भारतीय कानूनों के तहत की जाएगी।

प्राचार्य
शासकीय कन्या महाविद्‌यालय
कटनी जिला कटनी (म.प्र.)

प्राचार्य
शास. कन्या महाविद्यालय
कटनी (म.प्र.)

मैने ई-निविदा के समस्त नियमों एवं शर्तों को भली-भॉति पढ़ लिया है तथा निविदा की समस्त नियमों एवं शर्तों से सहमत हूँ तथा निविदा की सभी शर्तें मुझे मान्य है।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर (सील सहित)
पूरा नाम ....
फर्म का नाम ....
पूरा पता ....
मोबाईल नम्बर ....

Scanned with OKEN Scanner

परिशिष्ट-एक

कार्यालय प्राचार्य शासकीय कन्या महाविद्‌यालय कटनी जिला-कटनी (म.प्र.)

तकनीकी निविदा हेतु आवेदन एवं संलग्न पत्रों का विस्तृत विवरण

(आउटसोर्स से अकुशल- सुरक्षा कर्मियों की पूर्ति)

1	संस्था का नाम	
2	संस्था का पंजीकृत कार्यालय का पता	
	टेलिफोन नम्बर	
	मोबाईल नम्बर	
	ई-मेल नम्बर	
3	संस्था का प्रकार (प्रोपाईटर/पार्टनरशिप/एनजीओ/या अन्य कोई हो तो स्पष्ट करें।)	
4	संस्था प्रमुख का नाम	
5	निविदाकर्ता /फर्म/संस्था का स्थापना संबंधी कानूनी रूप से पंजीकृत वैध पंजीयन की प्रति ।	
6	निविदाकर्ता/फर्म/संस्था का श्रम आयुक्त म.प्र. द्‌वारा जारी जीवित लेबर लाईसेंस,जिसमें सेवाओं को देने के लिए अधिकृत किया गया हो की प्रति।	
7	निविदाकर्ता का विगत तीन वित्तीय वर्षों का औसत टर्नओवर कम से कम रूपए 10.00 लाख होना चाहिए। टर्नओवर का प्रमाण-पत्र चार्टड एकाउटेंट द्‌वारा हस्ताक्षरित प्रति	
8	निविदाकर्ता का स्थायी आयकर PAN / TAN की प्रति।	
9	निविदाकर्ता का जी.एस.टी. का सक्षम प्राधिकारी के द्‌वारा जारी जीवित पंजीयन ।	
10	निविदाकर्ता का आधार नम्बर की प्रति।	
11	निविदाकर्ता का कर्मचारी भविष्य निधि (ई.पी.एफ.) का वैध जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति।	
12	निविदाकर्ता द्‌वारा विगत छ:माह के ई.पी.एफ. जमा की Payment Confirmation Receipt / चालान प्रतियों की प्रति।	

13	**निविदाकर्ता का कर्मचारी बीमा निगम (ई.एस.आई.सी.) का वैध एवं जीवित पंजीयन की प्रति।**	
14	**निविदाकर्ता द्वारा विगत छ:माह के (ई.एस.आई.सी.) जमा की Payment Confirmation Receipt / चालान प्रतियों की की प्रति।**	
15	**निविदाकर्ता या उसके द्वारा संचालित फर्म/संस्था/कंपनी का अद्यतन तक पिछला रिकार्ड बेदाग होने संबंधित घोषणा पत्र परिशिष्ट- तीन पर रूपए 100/- के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा प्रमाणित प्रति**	
16	**निविदाकर्ता को शासकीय/अर्द्ध शासकीय संस्थान/स्थानीय निकाय कार्यालय में निविदा मे उल्लेखित पद कार्मियों की पूर्ति करने से संबंधित कार्य से संबंधित कार्य के संपादन / सेवा प्रदाय का कम से कम 01 विगत वित्तीय वर्ष 2025-26 का अनुभव परिशिष्ट-चार पर कार्यादेश/अनुबंध की प्रति सहित।**	
17	**निविदा के समस्त नियमों/शर्तों पर सहमति हेतु निविदाकर्ता द्वारा निविदा के समस्त नियमों/शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर पदमुद्रा के साथ हस्ताक्षर सहित।**	
18	**निविदाकर्ता** ISO 9001-2015 Quality Standard of Work Certificate **(आई.एस. ओ. सर्टिफिकेट) की प्रति।**	
19	**ई-निविदा की प्रतिभूति राशि रूपए 17800.00 आन लाईन** https://mptenders.gov.in **पोर्टल पर ।**	
20	**निविदा प्रपत्र क्रय करने का शुल्क रूपए 1000.00 रूपए एक हजार ऑनलाइन** https://mptenders.gov.in **पोर्टल पर ।**	

दिनांक :-

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर (सील सहित)
पूरा नाम ....
फर्म का नाम ....
पूरा पता ....
मोबाईल नम्बर ....

परिशिष्ट-दो

कार्यालय प्राचार्य शासकीय कन्या महाविद्यालय कटनी जिला-कटनी (म.प्र.)

वित्तीय निविदा प्रपत्र- (बी.ओ.क्यू.)

सुरक्षा कर्मी के पदों की आउटसोर्स से पूर्ति करने के लिए श्रमायुक्त द्वारा कर्मियों के लिए नियत पारिश्रमिक पर आउटसोर्स एजेंसी को प्रबंधकीय शुल्क / सर्विस चार्ज राशि प्रतिशत मे ।

क्रमांक	पद / विवरण	एजेंसी का प्रबंधकीय शुल्क / सर्विस चार्ज राशि प्रतिशत मे अंको एवं शब्दों में
1.01	**अकुशल - सुरक्षा कर्मी** 1. मध्य प्रदेश भण्डार क्रय नियम तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 (यथा संशोधित -2022) की कण्डिका 43.3 के प्रावधान अनुसार प्रबंधकीय शुल्क मान्य किया जावेगा।	राशि प्रतिशत मे .... शब्दों में..................
	योग	

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर (सील सहित)
पूरा नाम ....
फर्म का नाम ....
पूरा पता ....
मोबाईल नम्बर ....

परिशिष्ट-तीन

काली सूची में शामिल नहीं होने तथा अन्य जानकारी का घोषणा पत्र
रूपये 100.00 के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा प्रमाणित

1- मै ....पुत्री/पुत्र.. उम्र.....................पता...निम्नखित कथन/घोषणा करता/करती हूॅ कि-

2- मै निविदाकर्ता .... फर्म/संस्था/कम्पनी का वैधानिक रूप से संचालक या अधिकृत प्रतिनिधिक हूॅ। मेरी फर्म/संस्था/ कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय का पता.. ....है।

3- मैंने निविदा प्रपत्र को पूर्ण रूप से पढ़कर समझा लिया है तथा उसमें वर्णित शर्ते मुझे मान्य है।

4- निविदा में वर्णित सभी कार्यो को संपादित करने के लिए मेरी फर्म/संस्था/ कम्पनी के पास समस्त आवश्यक वैधानिक अनुज्ञाप्तियां, पंजीकरण तथा स्वीकृतियां प्राप्त है।

5- मेरी...फर्म/संस्था का पिछला रिकार्ड बेदाग है। मुझे या मेरे द्वारा संचालित फर्म/संस्था/कंपनी को केन्द्र सरकार , किसी राज्य सरकार , किसी अन्य संस्था द्वारा ब्लैक लिस्टिंग नहीं किया गया है या अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

6- मेरे या मेरी फर्म/संस्था/कम्पनी को कार्य करने हेतु माननीय न्यायालय द्वारा बाधित नहीं किया गया है।

7- मेरी या मेरे संस्था का कोई निकट संबंधी निविदा आमंत्रण प्राधिकारी के कार्यालय मे कार्यरत नहीं है।

8- निविदा की शर्तो का उल्लघंन पाये जाने के कारण मेरी संस्था द्वारा प्रस्तुत निविदा अमान्य किये जाने पर मुझे व मेरी संस्था को कोई आपत्ति नही होगी। मेरे या मेरी फर्म/कम्पनी/संस्था द्वारा निविदा प्रपत्र में प्रस्तुत की गयी सभी जानकारियां पूर्णतः सत्य एवं प्रमाणिक है। असत्य पाये जाने पर हमारे विरूद्ध विधिसम्मत कार्यवाही की जाने हेतु निविदा आमंत्रण प्राधिकारी स्वतंत्र होंगे। प्रश्नाधीन निविदा मे संबंधित सामग्रियां देने हेतु हम विधि रूप से सक्षम हैं। विधिक औपचारिकतायें संस्था के पास पूर्णत: सुसरक्षित है। किसी भी जानकारी के असत्य पाये जाने पर की गयी वैधानिक कार्यवाही मुझे मान्य होगी।

स्थान......
दिनांक .....

शपथग्रहिता निविदाकर्ता के हस्ताक्षर
नाम.....................................
पता......................................

परिशिष्ट- चार

निविदाकर्ता के अनुभव की जानकारी

(निविदा मे उल्लेखित कार्य से संबंधित कार्य के संपादन / सेवा प्रदाय)

स.क्र.	शासकीय/अर्द्ध शासकीय संस्थान/स्थानीय निकाय कार्यालय नाम एवं पता	कार्य आदेश क्रमांक एवं दिनांक	कर्मियों के पद विवरण	वित्तीय वर्ष
1				वित्तीय वर्ष 2025-26

दिनांक.............

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर (सील सहित)

पूरा नाम ....

फर्म का नाम.......................

पूरा पता ....

मोबाईल नम्बर ....

Signature Not Verified
Digitally signed by PANKAJ SEN
Date: 2026.05.14 15:33:14 IST
Location: Madhya Pradesh-MP